



सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2015 के सम्बन्ध में जन-सुनवाई।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(zp) सपटित धारा 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2015 जारी किया गया है। उक्त प्रारूप संशोधित विनियम पर सुझाव/आपत्तियां प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 28.08.2015 है।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 01.09.2015 को पूर्वाह्न 11 बजे जन-सुनवाई आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सचिव